जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः प-( )जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/डी- 1306 दिनांकः 07-09-2007

-:कार्यवाही विवरण:-

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 41 वी बैठक दिनांकः 31.08.07 को मध्यान्ह पश्चात् 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं0	प्रस्ताव सं0 जोन	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1	41:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 40 वी बैठक दिनांकः 28.07.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत्।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 40वी बैठक दिनांकः 28.7.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2	41:2 जोन-1	विजय नर्सरी शिक्षा समिति को मालवीय नगर योजना में 6400 वर्गगज (5351 व.मी.) भूमि आवंटन का निर्णय भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांकः 28.11.06 में लिया गया था लेकिन मौके पर भूमि का क्षेत्रफल 5476.28 व.मी. हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त बढा हुआ क्षेत्रफल 125.28 व. मी. के आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण ने पूर्व में मालवीय नगर मे संस्था को 14000 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा समझौते के आधार पर 7000 व.ग. (5852.7 व.मी.) भूमि आवंटन पर अपनी सहमति प्रदान की थी। जिस पर प्रकरण एल.पी.सी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और लगभग 6400 व. ग. शेष बची भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार आवंटन हेतु 6400 व.ग. अर्थात् 5351 व.मी. के अतिरिक्त बढा हुआ क्षेत्रफल 125.28 व.मी. अर्थात् कुल क्षेत्रफल 5476.28 व.मी. (6549.89 व.ग.) होता है। इस प्रकार बढे हुये क्षेत्रफल 125.28 व.मी. का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया जाना

(एल.पी.सी.)
प्रति० [illegible] (एल.पी.सी.) [illegible]
जयपुर विकास प्राधिकरण, [illegible]

			है। और साथ ही यह भी निर्णय लिया जाना है कि इस बढे हुये क्षेत्रफल के लिए आवंटन पत्र दि. 5.10.95 के अनुसार आवासीय आरक्षित दर 910/- रूपये का 25 प्रतिशत अर्थात् 227.50 रूपये प्रति व.मी. या 910/- रूपये प्रति व.मी. की दर का निर्णय किया जाना है। समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया न्यायालय निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, मौका निरीक्षण कर, समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण पुन: रखा जावे ।
3	41:3 जोन-1	माननीय जविप्रा अपीलीय अधिकरण के निर्णयानुसार श्री गयाज अहमद एवं अयाज अहमद पुत्र रियाज अहमद को मालवीय नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-538 आवंटन करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को न्यायाधिकरण के पूर्व फैसले दिनांक 27.2.04 के मुताबिक 250 वर्गगज का प्लाट दिया जाना है, इस हेतु पूर्व में एलपीसी की 19 वी बैठक दिनांक 5.10.05 को महल योजना में 250 वर्गगज का भूखण्ड प्रचलित आवासीय आरक्षित दर से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिससे अवमानना प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अस्वीकार किया एवं प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या ए 539 क्षेत्रफल 215.29 वर्गगज का भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति दी। इस भूखण्ड की उपलब्धता के बारे में पूर्व में अवमानना के जवाब में इस भूखण्ड ए 538 का उल्लेख किया गया था, जिसे आवंटित किया जाना है। दर का निर्धारण किया जाना भी अपेक्षित होगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में अपील नहीं किए जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अवार्ड के अनुसार आवेदक के पक्ष में नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
4	41:4 जोन-2	श्री जोहरीलाल पुत्र श्री फकीर चन्द विकलांग को पूर्व भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णयानुसार आवंटित आवास संख्या 8/23 की आवास के प्रति बकाया नजराना राशि व ब्याज माफ किये जाने बाबत्।	उपायुक्त जोन- 2 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में राशि रूपये 50000/- एक वर्ष की देरी से जमा करवाये गये है इसके लिए ब्याज राशि 7500/- रूपये तथा मूल राशि 30000/- रूपये अभी तक जमा नहीं होने से एक वर्ष सात माह का ब्याज 7125/- रूपये लेय है। इस प्रकार मूल राशि 30000/- रूपये तथा कुल ब्याज राशि 14625/- रूपये बकाया है। बकाया नजराना राशि एवं ब्याज माफी के नीतिगत निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि आवास के प्रति बकाया नजराना राशि व ब्याज माफ किये जाने का प्रकरण एल.पी.सी. के क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रकरण में अलग से नियमान्तर्गत प्रशासनिक निर्णय करवाया जावें।
5	41:5 जोन-7	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर को 33/11 के.वी. सब स्टेशन निर्माण हेतु गोविन्दपुरा करधनी में भूमि आवंटन कराने बाबत्।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर द्वारा गोविन्दपुरा करधनी योजना में 33/11 के.वी. एस/एस सब स्टेशन का निर्माण कराने के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है। संस्था द्वारा 1200 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु लिखा गया है। मौके पर भूखण्ड संख्या जी-1(जी-ब्लाक) के नजदीक रिक्त पडी सुविधा क्षेत्र की भूमि लगभग 30X40 मीटर उपलब्ध है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर द्वारा गोविन्दपुरा करधनी योजना में 33/11 के.वी. एस/एस सब स्टेशन का निर्माण कराने के लिए भूमि आवंटन के निर्णयार्थ प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समस्त तथ्यों का समावेश कर नि:शुल्क आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावें।
6	41:6 उपायुक्त जोन-8	वर्ष 2003 में पत्रकार आवासीय योजना ग्राम धोलाई (पृथ्वीराज नगर) में पत्रकारों को भूखण्डों का आवंटन किया जाकर लीजडीड जारी की गई थी। भूखण्डों का आंशिक भाग अन्य खातेदार की भूमि से प्रभावित भू.सं. 176, 177, 178, 179 एवं 180 कुल 5 भूखण्डों के बदले वर्तमान में योजना में रिक्त भूखण्ड दिये जाने पर विचार किया जाना है। रिक्त भू.सं. 526बी 526सी 526डी 526ई 526जी है पूर्व शर्तो व दरों के अनुसार ही बदले में	उपायुक्त जोन-8 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2003 में पत्रकार आवासीय योजना ग्राम धौलाई (पृथ्वीराज नगर) में पत्रकारों को भूखण्डों का आवंटन किया जाकर लीज डीड जारी की गई थी। इस योजना के समीपस्थ ही निजी खातेदार की योजना सुखविहार स्थित होने के कारण भू.सं. 176 से 180 (भूखण्डों का गहराई में) प्रभावित हो रहे है तथा आवंटियों को मौके पर भोतिक कब्जा दिये जाने में कठिनाई आ रही है खातेदार को भी समझाइश कर अन्यत्र भूखण्ड समायोजन हेतु प्रयास किये गये लेकिन खातेदार द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई। अत: इस प्रकार के भू आवंटियों को वर्तमान में पत्रकार कॉलोनी में रिक्त भूखण्ड परिवर्तन कर दिये जाने है। प्रभावित भूखण्ड सं. 176, 177, 178, 179 एवं 180 कुल 5 भूखण्डों के बदले वर्तमान में योजना में

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		दिया जाना प्रस्तावित है।	रिक्त भूखण्ड दिये जाने पर विचार किया जाना है। रिक्त भूखण्ड संख्या 526बी, 526सी, 526डी, 526ई, एवं 526जी है जिन्हें पूर्व शर्तो व दरों के अनुसार ही बदले में दिया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार लाटरी से समान प्रकृति के भूखण्ड आवंटन कर दिए जावे तथा लॉटरी में कार्नर भूखण्ड शामिल नहीं किये जावे।
7	41:7 जोन-9	महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट को अति0 भूमि की दर निर्धारण करने बाबत्।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट के स्वामित्व के पुरानी आतिश मार्केट की भूमि के बदले म्यूजियम ट्रस्ट को अन्यत्र 15 बीघा भूमि चाहने पर एलपीसी की 15वीं बैठक दिनांक 10.3.05 में 3.65 हैक्टेयर (15बीघा) भूमि नि:शुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 21.11.05 को ट्रस्ट द्वारा उनके पास स्थित विषमकोण त्रिभुजात्मक भूमि संस्था को आवंटन करने के निवेदन पर एलपीसी की 26वीं बैठक दिनांक 8.2.06 को क्षेत्रफल 1315.28 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजा। परन्तु ना तो एलपीसी द्वारा और ना ही राज्य सरकार द्वारा आवंटन दर निर्धारित की गई। इसके पश्चात् दिनांक 28.7.07 को पुन: एलपीसी की 40 वी बैठक में रखा। इसमें निदेशक (आयोजना) से प्रकरण की जांच कराने का निर्णय लिया गया। निदेशक (आयोजना) ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरांत इसके परिक्षण का औचित्य नहीं है। इसमें दर निर्धारण होना है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रकरण में पूर्व में ही राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान संस्थानिक दर पर नियमातंर्गत आवंटन किया जावे।
8	41:8 जोन-9	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को महल आवासीय योजना में 3200 वर्गमीटर भूमि 33 के.वी.	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 249 वीं बैठक दिनांक 20.3.99 में विद्युत विभाग को 3200

(एल.पी.सी.)
उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		के निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया एवं दिनांक 30.3.99 को आवंटन पत्र नि:शुल्क जारी कर दिया गया। नगरीय विकास विभाग के कमाउ संस्थाओं से आरक्षित दर वसूलने के निर्देश थे। अत: विभाग को दिनांक 3.1.02 में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशानुसार भूमि एवं संपत्ति समिति की 26वीं बैठक दि. 8.02.06 में महल आवासीय योजना के बी ब्लाक के सुविधा क्षेत्र में 3200 वर्गमीटर भूमि जोन की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। निर्णय की अनुपालना में जोन ने दिनांक 27.2.07 को 6888100/- रूपये का मांग पत्र जारी कर दिया गया एवं स्मरण पत्र दिनांक 8.5.07 को पुन: जारी करने के पश्चात् भी राशि जमा न करवाकर अधीक्षण अभियंता (ज.न.वृत) निगम वितरण लि. द्वारा प्रस्तुत पत्र दि. 25.05.07 में निवेदन किया कि विद्युत वितरण निगम एवं जविप्रा के विभागाध्यक्ष के मध्य सम्पन्न हुई बैठक दि. 30.03.07 में लिये निर्णय अनुसार निगम को नि:शुल्क भूमि का आंवटन किया जाना है। जिसका आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। अत: विद्युत वितरण निगम को महल आवासीय योजना के बी ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र में 3200 व.मी. भूमि नि:शुल्क आवंटित करने हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवंटन का निर्णय लिया गया। समस्त तथ्यों का समावेश कर नि:शुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें।
9	41:9 जोन-9	भूखण्ड सं. बी-33 महल योजना में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि भू.सं. बी-33 महल योजना क्षेत्रफल 275 व.मी. का श्रीमति मंजू चांदवाड पत्नि श्री आशुतोष चांदवाड को जरिये लॉटरी आवंटन हुआ है। आवंटित भूखण्ड का कब्जा पत्र एवं पट्टा लीजडीड तथा साईट प्लान जारी किया हुआ है। आवंटी श्रीमति मंजू चांदवाड ने दि. 21.06.07 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर भू.सं. बी-33 महल योजना से लगती हुई भूमि को नियमानुसा

प्रति० आयुक्त (एल.बी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आवंटन करने बाबत् अनुरोध किया है। मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड से लगती हुई 47.81 व.मी. भूमि रिक्त है। जो अन्य किसी को आवंटित नहीं है। अत: राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) 1974 के नियम 23 (1) के अनुसार 100 व. ग. तक के भूखण्ड के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि को Strip of Land मानते हुए योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी राशि ली जाकर आवंटन किये जोन के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर 4200/-रूपये प्रति व.मी. पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार आवंटन कर दिया जावें।
10	41:10 जोन-9	श्री राकेश कुमार जैन (एच. यू.एफ.) को भूखण्ड संख्या डी-101 कॉर्नर बढे हुए क्षेत्रफल के आंवटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जविप्रा जयुपर की सेन्ट्रल स्पाईन योजना ग्राम जीरोता में रीको एवं जविप्रा के मध्य हुए समझौता पत्र के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि प्राधिकरण को समर्पण करने के पश्चात् नामिक व्यक्ति श्री राकेश कुमार जैन (एच.यू.एफ.) को भू.सं. ए-101 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 270 व.मी. का नि:शुल्क आवंटन किया गया, किन्तु मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 129.75 व.मी. बढ़ गया जिसका ए.टी.पी. की रिपोर्ट के अनुसार कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए भूखण्ड के बढे हुए क्षेत्रफल सहित कुल क्षेत्रफल 399.75 व.मी. भूमि को आवंटित करने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण में आवेदक को 129.75 व.मी. भूमि का आवंटन किया जाना है। जबकि एल.पी.सी. द्वारा 100 व.ग. तक ही Strip of Land आवंटन किया जा सकता है। अत: प्रकरण तथ्यों का समावेश कर नियमान्तर्गत प्रचलित आरक्षित दर की दो गुना पर आवंटन करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावे।
11	41:11 जोन-9	महल योजना के संशोधित मानचित्र में विलोपित भूखण्डों के स्थान पर इसी योजना में	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण की महल योजना में भूखण्ड सं. डी-256,डी-272,डी-328,डी-342,डी-343,डी-344,डी-357

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		उसी आकार के नये सृजित भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।(प्रार्थी श्री राकेश मीणा व अन्य 11 आवंटी)	डी-358,डी-359,डी-361,डी-362,डी-363 प्रत्येक का क्षेत्रफल 45.00 व.मी. नॉन कॉर्नर कुल 12 भूखण्ड है जिनमें से भूखण्ड सं. डी-359 को छोडकर 11 के पट्टे विलेख जारी है। उपरोक्त सभी भूखण्डों की लेय राशि जमा है। महल योजना का तकनीकी कारणों से मानचित्र संशोधन किया गया जिसमें उपरोक्त भूखण्ड विलोपित हो चुके है। संशोधित अनुमोदित मानचित्र में विलोपित भूखण्डों के स्थान पर उसी आकार के नये भूखण्ड सृजित किये गये हैं। नये सृजित भूखण्ड सं. डी-301ए, डी-301बी, डी-301सी, डी-301 डी डी-301ई, डी-301एफ, डी-301एच, डी-301 आई, डी-301जे, डी-301के, डी-301एल, डी-337ए, डी-337बी, डी-337सी, डी-341ए, डी-342बी, प्रत्येक का क्षेत्रफल 45.00 व.मी. कुल 16 भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। प्रकरण विलोपित 12 भूखण्डों के आंवटियों को योजना में उपलब्ध उसी आकार के नये सृजित 16 भूखण्डों में से जरिये लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन किये जाने के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रस्तावानुसार समान प्रकृति के भूखण्ड जरिये लाटरी आवंटित किये जावें।
12	41:12 जोन-11	ऑपरेशन गुरूकुल अभियान 2005 के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल को भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय पत्र क्रमांक: 8588 दि. 5.09.05 के द्वारा ऑपरेशन गुरूकुल अभियान 2005 के अंतर्गत विद्यालय ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल के ख.नं. 63 किस्म गै. मु.शमशान के कुल रकबा 0.57 हैक्ट. में से 0.27 हैक्ट. भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि की किस्म गै.मु. शमशान है। मौके पर 350 व0मी0 भूमि में स्कूल बना हुआ हैं। चूंकि जविप्रा नियमों में गैर मुमकिन शमशान की भूमि आवंटन पर प्रतिबंध जानकारी में नही है। तथा न ही कम्पेडियम ऑफ जेडीए रूल्स में दृष्टिगत होते है। स्कूल द्वारा आवंटन हेतु चाही गई भूमि में स्कूल बना हुआ है एवं मौके पर शमशान की आवश्यकता नहीं होने से भूमि

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आवंटन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता हैं। अतः स्कूल द्वारा चाहे अनुसार 2700 व.मी. भूमि का आवंटन किया जाना समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार राजकीय स्कूल को सशर्त बाद किस्म परिवर्तन निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जावे।
13	41:13 जोन-11	रोहिणी नगर-प्रथम योजना में भू.सं. 512 के बढे हुए क्षेत्रफल की आवंटन दर तय करने बाबत्।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि रोहिणी नगर प्रथम योजना में सफल आवेदक श्री प्रेमराज शास्त्री पुत्र श्री माणिक्य लाल शास्त्री को भूखण्ड संख्या 512 आवंटित किया गया था। आवंटन अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 252 व.मी. था। प्रकरण में आवंटी द्वारा मांग अनुसार राशि जमा कराने एवं जमा राशि की पुष्टि पश्चात् स्थल मानचित्र तैयार करने बाबत् सहायक नगर नियोजक को पत्रावली प्रेषित की गई। सहायक नगर नियोजक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूखण्ड की नाप पीछे की तरफ बढ चुकी है। जिसके कारण भूखण्ड का क्षेत्रफल से 313.80 व.मी. हो गया है। इस प्रकार प्रकरण में पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल से 61.80 व.मी. भूमि अधिक हो गई। बढी हुई भूमि की आंवटन दर तय करने के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नियमातंर्गत आरक्षित दर के दोगुना पर आवेदक के पक्ष में आवंटन किया जावे।
14	41:14 जोन-12	भूखण्ड संख्या ई-94 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 162 व. मी. कार्नर भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत्।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्री पृथ्वीलाल वर्मा को भूखण्ड सं. ई-94, 162 व.मी. लाटरी के माध्यम से कार्नर भूखण्ड आनंद लोक योजना में सहवन से आवंटन हो गया, कार्नर भूखण्ड सिर्फ नीलामी से बेचान किये जाते है। अतः उक्त भूखण्ड निरस्त करते हुये इसके स्थान पर भूखण्ड सं. ए-31 अथवा सी-199, 162 व.मी. जो कि निरस्त होने, पश्चात् रिक्त है। आवेदक द्वारा इन दोनों में से कोई 1 भूखण्ड दिये जाने की सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। अतः प्रकरण ई-94 को निरस्त करने हेतु एवं विनिमय में ए-31 व सी-199 में से 1 भूखण्ड लाटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समान प्रकृति का नॉन कॉर्नर भूखण्ड जरिये लॉटरी आवंटित किया जावे।
15	41:15 जोन-5	जोन-5 के क्षेत्राधिकार में अजमेर रोड की मुख्य सडक पर ग्राम मदरामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 95/1 की नीलामी हेतु आरक्षित भूमि से हटाये गये अतिकमण के कारण विस्थापित श्री गणेश कामथ को प्राधिकरण की योजना पार्थ नगर में अल्प आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड संख्या ए-26 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर को नि:शुल्क आवंटन कर पुर्नवासित कराने बाबत।	उपायुक्त जोन-5 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जोन क्षेत्राधिकार में ग्राम मदरामपुरा की मुख्य अजमेर रोड की नीलामी हेतु आरक्षित भूमि पर वर्षो से काबिज, अतिक्रमी से खाली कराई गई भूमि के संबंध में विस्थापित श्री गणेश कामथ की आर्थिक स्थिति दयनीय होने से पार्थ नगर योजना के भूखण्ड संख्या ए 26 क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर का आवंटन योजना की सुरक्षित दर 2700/- रूपये प्रति वर्गमीटर का 25 प्रतिशत अर्थात् 675/- रूपये प्रति वर्ग मीटर या नि:शुल्क आवंटन का निर्णय किये जाने हेतु प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय किया कि प्राधिकरण की पालडी मीणा स्थित बॉम्बे योजना में निर्मित आवास नियमातंर्गत निर्धारित राशि वसूल कर आवंटन किया जावे।
16	41:15(1) जोन-9	"लोकमत" समाचार पत्र को अतिरिक्त 4000 व.मी. भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 271 ग्राम रामचन्द्रपुरा तह0 सांगानेर के रकबा 2.86 है0 में से अतिरिक्त 4000 व.मी. पूर्व में आवंटित 4000 व.मी. के साथ लगती हुई भूमि प्लानिंग किये जाने के अनुसार आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक: एफ-2/195/यू.डी.एच/77/दि. 7.03. 98 के अनुसार इस में राज्य स्तरीय समाचार पत्र को 4000 व.मी. भूमि का आवंटन 50 प्रतिशत आवासीय आरक्षित दर पर निर्धारित शर्तो के अनुसार किया गया है। यह द्वितीय आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किया जाना प्रस्तावित है। अत: संस्था को अतिरिक्त 4000 व.मी. भूमि आवासीय आरक्षित दर 3300/- रूपये प्रति व.मी. पर आवंटित किये जाने के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति ने प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रस्तावानुसार 1998 की नीति को दृष्टिगत रखते हुए नियमान्तर्गत प्रचलित आवासीय आरक्षित दर

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			पर आवंटन किया जावे।
17	41:15(2) जोन-5	स्वेज फार्म जविप्रा अनुमोदित योजना सुरेन्द्रपाल कॉलोनी में बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के लिए वितरण केन्द्र की स्थापना हेतु योजना के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित ''ओपन लैण्ड'' भूमि का आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन-5 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-5 के क्षेत्राधिकार में स्वेज फार्म क्षेत्र में स्थित सुरेन्द्रपाल कॉलोनी योजना जविप्रा से अनुमोदित योजना है। तथा योजना के अनुमोदित मानचित्र में ''ओपन लैण्ड'' क्षेत्रफल 753.47 व.ग. भूमि दर्शायी हुई है। मुख्य अभियंता (एस.पी.)पी.एच.ई.डी. जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक: 657 दि. 15.5.06 के द्वारा विषयान्तर्गत योजना में ''ओपनलैण्ड''हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 753.47 व.ग. भूमि का आवंटन बीसलपुर जयपुर पेयजल वितरण केन्द्र की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने का निवेदन किया है। पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा आवेदन पत्र केसाथ बिन्दु सं. 8 में वर्णित तथ्यों अनुसार परियोजना रिपोर्ट भी संलग्न की है। प्राप्त प्रार्थना-पत्र का परीक्षण करवाया जाकर प्रश्नगत योजना में चाही जा रही भूमि को पी.एच.ई.डी विभाग को आंवटन किये जाने बाबत जोन स्तरीय बैठक दि. 7.08.07 में अनुमोदन किया गया है। प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया हैं इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. 2607/03 में माननीय न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय दि. 28.07.03 के द्वारा पार्क व सुविधा क्षेत्र में नवीन आंवटन में रोक है, परंतु भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दि. 8.11.05 में इसी परियोजना के तहत जवाहर सर्किल एवं सेन्ट्रल पार्क में भूमि का आवंटन पी.एच.ई.डी. विभाग को किया गया है। इस योजना क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा संस्थानिक सुरक्षित दर रू. 6190/- प्रति व.मी. निर्धारित है। पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा भूमि का आवंटन नि:शुल्क चाहा गया है। पी.एच.ई.डी. विभाग को पूर्व में देवीनगर के सुविधा क्षेत्र में इस प्रयोजन हेतु एल.पी.सी. की बैठक सं. 36वीं दि. 24. 03.07 से आवंटन किया गया था जिसके नि:शुल्क आवंटन बाबत् राज्य सरकार से स्वीकृति दि. 2.07.07 को प्राप्त हो चुकी परंतु विभाग द्वारा देवीनगर में नहीं

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			चाहा जाकर सुरेन्द्र पाल कॉलोनी में आवंटन चाहा गया हैं। अत: पूर्व में देवीनगर में किये गये आवंटन को निरस्त कर सुरेन्द्रपाल कॉलोनी में आवंटन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विभाग को पूर्व में आवंटित भूमि का निरस्तीकरण किया जाकर प्रस्तावानुसार भूमि आवंटित कर दी जावे। नि:शुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।
8	41:15(3) जोन-5	जैन विश्व भारती, लाडनूं को जयपुर में विद्यालय भूमि हेतु ज्ञान विहार योजना (गोविन्द गृ.नि.स.स.) अजमेर रोड़ को सुविधा क्षेत्र में वर्ष 92 में आवंटित की गई भूमि 1824.95 व.ग. का कब्जा दिलवाने व 6000 व.ग. का पट्टा विलेख जारी करने की स्वीकृति बाबत्।	उपायुक्त जोन-5 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जैन विश्व भारती, लांडनू को 1992 में आवंटित की गई भूमि 6000 व.ग. मौके पर योजना के सुविधा क्षेत्र मे दो भागों में स्थित है जिसमें से 4171.02 व.ग. पर संस्था आवंटन अनुसार काबिज है। दूसरे हिस्से की 1824.95 व.ग. भूमि मौके पर रिक्त है। जिसका कब्जा दिया जाकर आवंटित कुल भूमि 5995.97 व.ग. के प्रति लीजडीड जारी की जानी है। संस्था द्वारा आवंटित की गई भूमि के प्रति वर्ष 1992 में ही देय राशि जमा करवाई हुई है। प्रकरण में विधिक राय भी प्राप्त की जा चुकी है, जिसके अनुसार संस्था को वर्ष 1992 में आवंटन की गई भूमि का कब्जा दिये जाने हेतु समान प्रकरणों में लिये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक स्तर पर ही नियमानुसार निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जा सकती है। संस्था को वर्ष 1992 में आवंटन की गई भूमि में शेष रही 1824.95 व.ग. का कब्जा व सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल 5997.97 व.ग. का पट्टा विलेख जारी

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर [illegible] प्राधिकरण, जयपुर

			किये जाने की स्वीकृति हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में भूमि का आवंटन 1992 का है, अब तक विधिवत् रूप से कब्जा संभलवाने की कार्यवाही में क्या बाधाएं रही। वर्तमान में मौके की स्थिति व प्रकरण के संबंध में क्रमवार समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण पुन: समुचित निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावें।
19	41:15(4) जोन-12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सरनाडूंगर तह0 जयपुर के ख.नं. 165 रकबा 13 बीघा भूमि में अखिल राजस्थान राज्य ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों को आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सरनाडूँगर तह0 जयपुर के ख.नं. 165 रकबा 13 बीघा भूमि में अखिल राजस्थान राज्य ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने के लिये एल.पी.सी. द्वारा पुन: निर्णय लिया जाना है। तदनुसार प्रश्नगत भूमि पर आवासीय योजना बीपीसी(एलपी) से अनुमोदित कराई जानी होगी। जोन-12 की आवासीय आरक्षित दर 2500/-रू. प्रतिवर्गमीटर निर्धारित है। The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के अनुसार कार्यवाही की जानी है। समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि पूर्व में नीतिगत निर्णय हो चुका है। कर्मचारियों हेतु प्राधिकरण की योजनाओं में 18 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है। इसलिए अब इस प्रकार से पृथक योजना बनाया जाना उपयुक्त नहीं है। अत: प्रकरण खारिज किया गया।
20	41:15(5) जोन-10	धाकड़ समाज समिति, जयपुर को छात्रावास/धर्मशाला हेतु भूमि बाबत्।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि संस्था द्वारा ग्राम पालडीमीणा तह0 सांगानेर के ख.नं. 50 रकबा 2.76 हैक्ट. जविप्रा स्वामित्व की भूमि में से 10000 व.मी. किस्म बंजड प्रथम में भूमि

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आवंटन की मांग की गई है। प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल होने से समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वैकल्पिक तौर पर जोन 12 में उपलब्ध संस्थानिक भूमि में से भूमि आवंटन हेतु नीति अतंर्गत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।
21	41:15(6) जोन-9	श्री राम आदर्श विद्यालय समिति को भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्रीराम आर्दश विद्यालय समिति को संस्थानिक आरक्षित दर पर 2000 व.मी. भूमि विद्यालय को महल ए.बी. ब्लॉक में आवंटन हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार आवंटन का निर्णय लिया गया।
22	41:15(7) जोन-9	शेखावाटी अंचल संस्थान को बालिका विद्यालय हेतु भूमि आवंटित के स्थान पर महल ए. बी ब्लॉक में भूमि आवंटन करने के क्रम में।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में एल.पी.सी. की बैठक दि. 26.07.06 में आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर 2000 व.मी. भूमि ग्राम दांतली सिरोली योजना में शेखावाटी आंचल संस्थान को बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए आवंटित की थी। जिसकी एवज में 18.10.06 को सम्पूर्ण राशि जमा हो चुकी थी। पूर्व में भूमि आवंटित की उस पर राजकीय स्कूल ने कब्जा कर चारदीवारी बना दी। राजकीय स्कूल को भी इसी योजना में भूमि आवंटित हुई। परंतु राजकीय स्कूल ने उसे आवंटित भूमि के स्थान पर शेखावाटी अंचल को आवंटित भूमि पर दीवार बनाकर कब्जा कर लिया। क्योंकि राजकीय स्कूल को आवंटित भूमि पर अन्य का कब्जा था। इस कारण शेखावाटी अंचल संस्थान बालिका विद्यालय हेतु भूमि का कब्जा नहीं संभलाया गया। अतः महल योजना के ए.बी. ब्लॉक में संस्थाओं को आवंटित की जाने हेतु आरक्षित भूमि में से ग्राम दांतली सिरोली में पूर्व में आवंटित 2000 व.ग. भूमि के बदले इतनी ही भूमि संस्था को आवंटित करने के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति ने विचार विमर्श कर प्रस्तावनुसार सशर्त आवंटन निरस्त कर पूर्व जमा राशि को समायोजित कर प्रचलित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
23	41:15(8)	चाइल्ड एजूकेशन सोसायटी	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

(एल.पी.सी.)
उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	जोन-9	को विद्यालय हेतु भूमि आवंटित के संबंध में।	है कि महल ए.बी. में से 11,520 व.मी. का प्लाट उपलब्ध है जिसमें से चाइल्ड एजुकेशन सोसायटी विद्यालय के लिये 7,520 व.मी. भूमि संस्थानिक दर पर आवंटन की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। अत: प्रकरण में महल योजना के ए.बी. ब्लॉक में संस्थाओं को आवंटित की जाने हेतु आरक्षित भूमि में से 7,520 व.मी. भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर संस्था को आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति ने विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार आवंटन करने का निर्णय लिया।
24	41:15(9) जोन-7	गोविंदपुरा करधनी योजना में निम्न तीन शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यालय के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत्। 1. महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा, महर्षि विद्या पीठ सी. से. स्कूल के लिये 2. अभिनव माडर्न एजुकेशन सोसायटी द्वारा शिवानी विद्याश्रम विद्यालय के लिए 3. रघुराज एकेडमी शिक्षा समिति द्वारा रघुराज ऐकेडमी सी. सै. स्कूल के लिए	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि तीनों संस्थाओं ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है:- 1. महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा 8000 व.मी. से 10000 व.मी. तक उपलब्धता के अनुसार 2. अभिनव मॉडर्न एजूकेशनल सोसायटी 5000 व.ग. भूमि 3. रघुराज एकेडमी शिक्षा संस्थान 5000 व.मी. प्रार्थना पत्रों के अनुसार भूमि उपलब्धता के लिए मौका रिपोर्ट कराई गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार गोविंदपुरा आवासीय योजना के सी ब्लॉक में लगभग 8000-8400 व.मी. की पट्टी ही उपलब्ध है। जिसके लिए तीनों संस्थाओं द्वारा विद्यालय हेतु आवेदन कर भूमि चाही गयी हैं। भूमि के आवंटन के क्रम में निर्णय लिए जाने हेतु तीनों संस्थाओं के प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति के समक्ष उपस्थित महर्षि शिक्षण संस्थान स्कूल एवं अभिनव माडर्न एजूकेशन सोसायटी के प्रतिनिधिगण को सुना गया रघुराज एकेडमी के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहें। महर्षि शिक्षण संस्थान तथा अभिनव माडर्न एजूकेशन सोसायटी के प्रतिनिधिगण ने उपलब्ध भूमि में से 4200-4200 वर्गगज भूमि के आवंटन पर सहमति दी है। अत: समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि उक्त दोनों संस्थाओं की

			पात्रता की जांच कर 4200-4200 व.ग. भूमि नियमानुसार आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
25	41:15(10) जोन-1	राजस्थान पत्रिका पेपर मिल्स लिमिटेड को आंवटित भूखण्ड सं. 6ए के अति0 बचा हुआ क्षेत्रफल 1081.69 व.मी. अति0 भूमि के झालाना संस्थानिक क्षेत्र में आवंटन के सबंध में।	उपायुक्त जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी संस्था को झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड सं. 6-ए, जिसका कुल क्षेत्रफल 5081.69 व. मी. है में से 4000 व.मी. भूमि समाचार पत्र पॉलिसी के अंतर्गत आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर दि. 1.09.06 को आवंटित कर राज्य सरकार को निर्णय हेतु भिजवाया गया। राज्य सरकार ने 1998 के पश्चात् प्रार्थी संस्था का प्रथम प्रार्थना-पत्र आवंटन हेतु प्राप्त होने से नीति के अंतर्गत आवंटन किये जाने की दि. 21.05.07 को स्वीकृति प्रदान की है। अब संस्था ने निवेदन किया है कि इस भूखण्ड में से शेष बची 1081.69 व.मी. भूमि इसी समाचार पत्र पॉलिसी की अंतर्गत आवंटित की जावें। जिसका परीक्षण किया गया। परिपत्र दि. 7.03.98 जिसकी प्रति संलग्न है। के 2(बी) के अनुसार I-V शर्तो की संस्था पूर्ति करती है। इस प्रकार इस शेष भूमि को परिपत्र के 2 (बी) (i) के अनुसार आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसकी आवसीय आरक्षित दर 6300/- रूपये प्रति व.मी. है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूमि प्रचलित संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने हेतु समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।
26	41:15(11) जोन-7	गोविंदपुरा करधनी में पुलिस थाना झोटवाडा को ''पुलिस चौकी करधनी'' (भविष्य में थाना) स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 40वीं बैठक में प्रकरण रखा गया था, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये:- गोविंदपुरा में करधनी आवासीय योजना में पूर्व में काश्तकार द्वारा निर्मित भवन गोविंदपुरा ''ए'' ब्लॉक में स्थित है। उक्त भवन की लम्बाई 21.05 मीटर एवं चौडाई 15 मीटर है जिस पर वर्तमान में पुलिस चौकी स्थापित है, का आवंटन अधीक्षक जयपुर शहर दक्षिण को कर दिया जावे। इस संबंध में निवेदन है कि श्री दिनेश शर्मा

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			एस.एच.ओ पुलिस थाना झोटवाडा दि. 30.08.07 को कार्यालय मे भूमि आवंटन के संबंध में उपस्थित हुये एवं एल.पी.सी के निर्णय के संबध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3000 व.मी. भूमि आंवटन करने के लिए निवेदन किया गया कि मौके की जांच कर उक्त भूमि आवंटन की जायें। भविष्य में उस स्थान पर पुलिस थाना खोला जाना प्रस्तावित है। इस संबंध मे जोन के उपनगर नियोजक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित भूमि पर मौका रिपोर्ट के अनुसार जविप्रा का 21.50X15.00 व.मी. मकान निर्मित है। जिस पर वर्तमान में थाना प्रस्तावित है व जिस पर वर्तमान में चौकी स्थापित की गई है। पूर्व निर्मित मकान की भूमि का ही आवंटन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर भूमि का क्षेत्रफल कम होने से प्रश्नगत भूमि के आस-पास की भूमि की पैमाईश की गई जिसमें प्रस्तावित दुकान सं. 61 से 99 तक एवं पार्किंग स्थान को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रफल की गणना की गई। जिसका क्षेत्रफल 2299 व.मी. भूमि उपलब्ध हो रही है। लेकिन प्रस्तावित दुकाने एवं पार्किंग को निरस्त करना आवश्यक होगा। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रकरण का आयोजना शाखा से परीक्षण करवाया जावे।। पुलिस मुख्यालय से थाना हेतु भूमि आवंटन के नार्मस मंगवाये जावें। तत्पश्चात् पुनः सभी तथ्यों के साथ प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे।
27	41:15(12) जोन-12	सांसी बस्ती, रेल्वे स्टेशन के पास, चौमू के लिये शमशान हेतु भूमी आरक्षित (Set apart) करने बाबत्।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि चौमूं कस्बे के सांसी समाज के स्थानीय निवासियों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर एल.पी.सी. की 17वीं बैठक दि. 22.08.05 में कस्बा चौमूं जिला जयपुर के वार्ड नं. 5 के सांसी समाज की बस्ती के लोगों के शमशान हेतु ग्राम चौमूं ख.नं. 4152 में से 0.28 है. भूमि आरक्षित (Set Apart) किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में आस-पास के निवासियों द्वारा विरोध दर्ज कराने के कारण नगर पालिका चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उक्त स्थान के बदले ग्राम चौमूं के ख.न. 4623 रकबा 2.

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			03 है. भूमि किस्म गै.मु. शमशान से 0.04 है. भूमि आवंटन करने की अनुशंसा की गई थी। जिसके संबंध में प्रकरण पुनः एल.पी.सी. की 30वीं बैठक दि. 1.05.06 में रखा गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि इस सांसी समाज को ख.नं. 4152 में से 0.28 है. के स्थान पर ग्राम चौमूं के ख.नं. 4623 रकबा 2.03 है. भूमि किस्म गै.मु.शमशान में से 0.04 है. भूमि निःशुल्क आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। इसके संबंध में सांसी समाज के प्रतिनिधि श्री मोतीराम सांसी द्वारा ख.नं. 4152 में से 0.28है. भूमि ही शमशान हेतु आवंटित करने का निवेदन किया गया। इस संबंध में नगर पालिका चौमूं व तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा क्षेत्रीय विधायक की अनुशंषा भी प्राप्त है। जो संलग्न है। जिसमें ग्राम चौमूं के ख.नं. 4152 को समाज के शमशान हेतु उपयुक्त नहीं बताया है तथा ख.नं. 4623 किस्म गै.मु. शमशान में से ही 0.04 है. भूमि ही सांसी समाज के शमशान हेतु आरक्षित करना उपयुक्त होने का उल्लेख किया है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव खारिज करते हुए पूर्व आवंटन/आरक्षण यथावत रखे जाने का निर्णय लिया।
28	41:15(13) जोन-10	कला एवं संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र, जयपुर को ग्राम आमेर में ''कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस'' की स्थापना हेतु भूमि आवंटित किये जाने बाबत्।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण वर्ष 2007-08 में की गई घोषणा के संबध में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस हेतु ग्राम आमेर के ख.नं. 718 क्षेत्रफल 0.69 है. एवं ख.नं. 1344 रकबा 1.31 है. में से 5 बीघा भूमि की मांग की गई थी किन्तु उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण आवंटन नहीं किया गया। अब खसरा नं. 1489/9378 रकबा 3.79 हैक्ट. मे से 5 बीघा भूमि कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हेतु चाही गई है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर कला एवं संस्कृति विभाग को आवंटन करने का निर्णय लिया।

आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			नि:शुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावें।
29	41:15(14) जोन-11	फार्म हाउस योजना विश्राम विहार ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि फार्म हाउस योजना विश्राम विहार ग्राम वाटिका तह0 सांगानेर में जन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए जलदाय विभाग, विद्युत मंडल, पुलिस चौकी आदि के लिए भूखण्ड आरक्षित कर मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। इसी क्रम में एक भूखण्ड सं. 62 योजना में मार्क बी विद्युत विभाग को 33/11 विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना हेतु 4298.35 व.मी. भूमि का भूखण्ड आवंटन किया जाना है। जिसका पी.डब्ल्यू.सी की बैठक में अनुमोदन किया जा चुका है। प्रकरण में प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड 18 मी. चौडी सडक पर स्थित है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवंटन का निर्णय लिया गया। नि:शुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति लेने का निर्णय लिया।
30	41:15(15) जोन-11	सूरजपुरा डेयरी योजना में उच्च जलाशय एवं अन्य पेयजल सुविधा की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि सूरजपुरा डेयरी योजना में जन सुविधा को मद्देनजर रखते हुए जलदाय विभाग, विद्युत मंडल, पुलिस चौकी आदि के लिये भूखण्ड आरक्षित कर मानचित्र पर दर्शाये गये है। इसी क्रम में एक भूखण्ड योजना में मार्क ए-बी-सी जलदाय विभाग को उच्च जलाशय एवं अन्य पेयजल सुविधा की स्थापना हेतु 2200 व.मी. भूमि का भूखण्ड आवंटन किया जाना है। जिसका पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन किया जा चुका हैं। प्रकरण में प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड 24 मी. चौडी सडक पर स्थित है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत

(एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

			किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवंटन का निर्णय लिया गया। नि:शुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति लेने का निर्णय लिया।
31	41:15(16) जोन–11	रोहिणी नगर–तृतीय ग्राम मोहब्बतपुरा चांदावास तह0 फागी में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि रोहिणी नगर तृतीय योजना में जन–सुविधा मद्देनजर रखते हुए जलदाय विभाग, विद्युत मंडल, पुलिस चौकी आदि के लिये भूखण्ड आरक्षित कर मानचित्र पर दर्शाये गये है। इसी क्रम में एक भूखण्ड योजना में मार्क ए विद्युत विभाग को 33/11 विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना हेतु 5868.03 व.मी. भूमि का भूखण्ड आवंटन किया जाना है। जिसका पी.डब्ल्यू.सी की बैठक में अनुमोदन किया जा चुका है। प्रकरण में प्राप्त तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड 48 मी. व 30 मी. चौडी सडक पर स्थित है। प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवंटन का निर्णय लिया गया। नि:शुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति लेने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
(एल.पी.सी.)
एव
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
5- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल

6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
7- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
8- प्रो0 बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
9- श्री कालीचरण सर्राफ, विधायक, जौहरी बाजार
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14- जिला कलक्टर, जयपुर
15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
25- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

परिशिष्ठ-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

-:उपस्थिति पत्र:-

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 41 वीं बैठक दिनांक 31-08-07 में उपस्थित रहे जन-प्रतिनिधियों/ अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम जनप्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा0 विधायक	सदस्य
3.	श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा	सदस्य
4.	श्री एस0सी0 महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अति0 आयुक्त (एल0पी0सी0)	सदस्य सचिव
6.	श्री बी0के0 दोषी, अति0 आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्री एन0के0 खींचा, अति0 आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्रीमति कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
9.	श्री इकबाल, उपायुक्त जोन-5	विशेष आमंत्रित
10.	श्री डी.आर. सैनी, उपायुक्त जोन-10	विशेष आमंत्रित
11.	श्री इन्द्र सिंह सोलंकी, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमंत्रित
12.	श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
13.	श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
14.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
15.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
16.	श्री एम.एल.गुप्ता, अति0 निदेशक (राजस्व)	विशेष आमंत्रित
17.	श्री अरूण जोशी, पी.आर.ओ.	विशेष आमंत्रित